

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

कपिल

बनाम

गैलमाल

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 168/2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
15/06/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>कपिल - कविता - वल्लु मिश्रा</u> पिता श्री <u>शम्भु सिंह जाट, गीता पत्नी शम्भु सिंह जाट</u> निवासी- <u>चिकली</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>चिकली</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर...<u>556, 557, 561</u> <u>562, 643, 650, 651, 652, 653</u></p> <p>कुल कीता <u>9</u> कुल रकबा <u>3.2600</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>चिकली</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>556, 557, 561, 562, 643, 650, 651, 652</u> <u>653</u></p> <p>कुल कीता <u>9</u> रकबा <u>3.2600</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1500=00</u> रूपये अक्षरे <u>एक हजार पान्च सौ (बस)</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p><u>Exp</u> (<u>रामचन्द्र खटोक</u>) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़</p>